

Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
पृथ्वीराज बनाम कृष्णलाल व अन्य

किस्म मुकदमा:- प्रा0पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी

प्रकरण सं.- 119/2023

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील मे जारी
हए

11.09.24

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष हाजिर। पत्रावली का अवलोकन करने पाया कि वकील प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय की पत्रावली संख्या 48/2020 सीगा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 एवं धारा 92 पंचायत राज अधिनियम ब अनवान पृथ्वीराज बनाम कृष्णलाल में पारित आदेश दिनांक 26.09.2023 को अपास्त करते हुए मूल निगरानी को पुनः दर्ज रजिस्टर करने हेतु पेश किया है। पत्रावली का अवलोकन करने से पाया कि आदेशिका दिनांक 12.08.2024 द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया चुका है।

चूंकि जब प्रकरण में आदेशिका दिनांक 12.08.2024 द्वारा प्रार्थना पत्र ही स्वीकार किया चुका है तो हस्तगत पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र संख्या 119/2023 इसी स्तर पर दाखिल दफ्तर किया जाता है तथा मूल अपील संख्या 48/2020 सीगा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 एवं धारा 92 पंचायत राज अधिनियम ब अनवान पृथ्वीराज बनाम कृष्णलाल आदि को पुनः नये नम्बर पर दर्ज कर आदेश दिनांक 26.09.2023 से पूर्व की स्थिति से प्रारम्भ करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिवक्ता उभय पक्ष सूचित रहे।

(कन्हैयालाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

